

अधिसूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के सभी बाह्य स्रोत कामगार की कार्य अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल से आरंभ करते हुए चार चरणों में, प्रत्येक चरण में 89 दिनों के लिए बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त संदर्भ में, नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि बाह्य स्रोत कामगार की कार्य अवधि की विस्तार के लिए 89 दिनों की प्रत्येक चरण की समय-सीमा समाप्ति के कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले अधोहस्ताक्षरी को सिफारिश भेजें ताकि प्रत्येक वर्ष चार (4) चरणों में कार्यालय आदेश जारी किया जा सके।

सभी संबंधित से उपरोक्त के अनुपालन हेतु अनुरोध किया जाता है।

मेमो नं. प्रशा./जी/जी-15/1035

दिनांक : 21.01.2020

हस्ता./-

उप कुलसचिव (प्रशासन)

विश्वभारती

सेवा में,

1. सभी निदेशक एवं भवन/विभाग अध्यक्ष
2. सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/कार्यालय के प्रधान
3. वित्त अधिकारी
4. प्रोक्टर
5. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
6. उप कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
7. हिंदी अधिकारी - हिंदी अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
8. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग)
11. फाइल

हस्ता./-

उप कुलसचिव (प्रशासन)

विश्वभारती